न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 343/2016/डिक्री

माधुलाल पिता पृथ्वीराज गुर्जर
निवासी मायरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. नारायणलाल पिता चतुर्भुज गुर्जर
2. चतुर्भुज पिता किशना गुर्जर
   दोनो निवासी भुगडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार, बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 01.06.2016 प्रकरण सं. 70/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भेरूलाल वैष्णव – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1, 2

निर्णय दिनांक – 18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलान्ट ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध मौजा भुगडिया की आराजी नम्बर 133,134,135,137 कुल 4 रकबा 1.11 है0 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय पृथ्वीराज ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजीयात पडौस मे होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि पर आने–जाने का कोई नही होने से भविष्य मे आपसे मे कोई विवाद न हो इस हेतु अपने खातेदारी की भूमि मे से 0.11 है0 दिनांक 20/06/1998 को रेस्पोडेन्टस को पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दी थी। रेस्पोडेन्टस ने तथाकथित विक्रयपत्र की आड मे आराजी नम्बर 135 रकबा 1.02 है0 अपने नाम करवा ली, जबकि मृतक स्वर्गीय पृथ्वीराज ने अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 29/05/2001 को गोदनामा निष्पादित करवाया, उसके आधार पर अपीलान्ट विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मृतक

पृथ्वीराज के द्वारा केवल 0.11 है0 ही रास्ते हेतु विक्रय की थी जिससे अपीलान्ट उक्त आराजीयात आराजी नम्बर 135 रकबा 1.00 है. की घोषणा कराये जाने के अधिकारी होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त आश्य का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को वादपत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम की जाकर वादपत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी राजीनामे के अपीलान्ट वादी निरस्त किये जाने की डिक्री पारित कर दी, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट केलझर मे नियत किया गया, जिसमे अपीलान्ट स्वंय उपस्थित हुआ, जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट वादी का वादपत्र बिना किसी राजीनामे के निस्तारित कर निरस्त किये जाने एवं रेस्पोडेन्टस का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01/09/2016 को हुई व उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 06/09/2016 को प्राप्त हुयी उसी दिन अपीलान्ट अपील अन्दर मयाद पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01/06/2016 को निरस्त फरमाया अपीलान्ट वादी का वादपत्र डिक्री फरमाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि मौजा भुगडिया तहसील चित्तौडगढ` खसरा नम्बर 133,134,135 व 137 कुल किता 4 रकबा 1.11 है0 भूमि का विवाद है। दावे की कलम संख्या 2 मे इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे वादी है। उक्त भूमि मे से 0.11 है0 भूमि रास्ते के लिये दी है व बकाया भूमि रेस्पोडेन्ट को दी गई है। दिनांक 20/06/1988 को केवल रास्ते के लिये 0.11 है0 भूमि दी

गई है जिसके बजाय 1.11 है0 भूमि की रजिस्ट्री हो गई एवं इसका अमल दरामद भी हो गया। अधीनस्थ न्यायालय मे दावे मे दिनांक 06/05/2014 को नोटिस जारी हुये तथा पत्रावली तलबी मे चली गई जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/06/2016 निर्धारित की गई इसके पूर्व ही दिनांक 01/06/2016 को पत्रावली लोक अदालत मे रख ली गई जिसकी किसी प्रकार की सूचना पार्टी को नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय मे काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत हुआ था जो तनकीयात कायम होकर साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकता हैं। दिनांक 26/11/2014 को प्रस्तुत जवाब पर कही पीठासीन अधिकारी की मार्किग नही है। वह नही किया गया। लोक अदालत मे बिना समझौते व सूचना के निर्णय हुआ है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दिनांक 26/11/2014 को न्यायालय मे जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली मे दिनांक 04/06/2014 को ही तामील हो गई थी। गोद पुत्र दिनांक 29/05/2001 को आया है जबकि भूमि का विक्रय दिनांक 26/06/1998 को हो चुका है जिसमे सम्पूर्ण 1.11 है0 भूमि का बेचान हुआ है। यह दावा मात्र परेशान करने की नियत से प्रस्तुत हुआ है। रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिये सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना चाहिये। घोषणात्मक वाद मे गोद लिया हुआ पुत्र दर्ज नही होना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की मंशा से निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को लोक अदालत का नोटिस जारी नही किया है तथा पत्रावली निर्धारित तिथि 20/06/2016 के बजाय लोक अदालत मे दिनांक 01/06/2016 को ही निर्णित कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे किसी प्रकार का आपसी समझौता भी उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 70/2014 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01/06/2016 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ